न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/24 वाद   GCMS NO : 2024/00006
पूर्व प्रकरण संख्या : 60/2018

मैसर्स आंजना कंस्ट्रक्शन, छोटीसादड़ी, भागीदारी फर्म जरिये भागीदार
1. उदयलाल आंजना पिता श्री भेरूलालजी आंजना
2. मनोहरलाल आंजना पिता श्री भेरूलाल जी आंजना
   निवासी छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़, राज.

.....वादीगण

बनाम

1. उंकारलाल पुत्र चुन्नीलालजी पुजारी, निवासी–विश्वविद्यालय मार्ग, उदयपुर
2. श्रीमती शांतादेवी पुत्री चुन्नीलालजी पुजारी, निवासी–विश्वविद्यालय मार्ग, उदयपुर
3. श्रीमती हंसा न्याती पत्नि श्री गिरीराजजी, निवासी–14, गोकुल नगर, बोहरा गणेश, उदयपुर
4. श्रीमती ललीता मालू पत्नि केशवजी मालू, निवासी–30, गोकुल नगर, बोहरा गणेश, उदयपुर
5. राजेन्द्र कुमार जैन पिता नरेन्द्रलालजी जैन, निवासी–26, शारदा नगर, बोहरा गणेश, उदयपुर
6. मैसर्स चौधरी प्रोपर्टी डीलर प्रा.लि. जरिये प्रबन्ध निदेशक श्री सत्यनारायण चौधरी पिता नंदलालजी, निवासी–58, उत्तरी आयड़, गोकुलपुरा, उदयपुर
7. गणेशलाल पिता माणकलालजी दोशी, निवासी–देहली गेट बाहर, उदयपुर
8. नीतू जैन पत्नी श्री जितेन्द्र जैन, निवासी देहली गेट उदयपुर राज.
9. श्रीमती जया सुवालका पिता श्री रवि. निवासी 25, महाराजा का अखाड़ा, रामसिंह जी बाड़ी, सेक्टर 11 उदयपुर
10. श्रीमती नेहा पत्नी श्री निलय मोदी, निवासी 18 आनंदनगर विश्वविद्यालय मार्ग, उदयपुर
11. श्रीमती विमला कोठारी पत्नी श्री बलवंतसिंह कोठारी, निवासी केशवनगर 9–10 आनंदनगर विश्वविद्यालय मार्ग,
12. भानु देवपुरा पिता श्री रमेशचन्द्र निवासी 74 गोकुलनगर, बोहरागणेश जी, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— श्री अरूण व्यास अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 13.08.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम आयड़, पटवार मण्डल पुरोहितो की मादड़ी, तहसील गिर्वा के खाता संख्या 46 आराजी संख्या 897, 898, 903 किता 03 रकबा 0.5850 हैक्टयर भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर विलेख का पंजीयन दिनांक 31.05.2006 को कराया तब से काबिज है। उक्त आराजी में विपक्षी संख्या 1 व 2 का 1/6—1/6, विपक्षी संख्या 3 व 4 का 413/5850वां, विपक्षी संख्या 5 का 49/5850वां, विपक्षी संख्या 6 का 416/5850वां, विपक्षी संख्या 7 का 97/5850वां, हिस्सा तथा शेष कुल हिस्से के 1/2 हिस्से में से विपक्षी संख्या 8, 9, 10, 11 व 12 प्रत्येक का 1/16वां एवं प्रार्थी फर्म का 3/16 वां यानि कुल का 1095/5850वां हिस्सा है। प्रार्थी का अपने हिस्से पर भौतिक कब्जा होकर बाउण्ड्रीवाल खरीदने के साथ ही निर्मित कर दी, जिससे अन्य किसी को दखल का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु विपक्षीगण अब प्रार्थी के बाहर का होने के आधार पर अतिक्रमण कर अधिक भूमि हड़पने पर आमदा है। मौके पर अलग काबिज होते, मौखिक तौर पर बंटवाड़ा कर लेने के बावजूद विपक्षीगण आए दिन दखलन्दाजी करते रहते है। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी फर्म का 3/16 वां यानि कुल का 1095/5850वां हिस्सा है। प्रार्थी फर्म ने अपनी कुलिया हक व हिस्सों का हस्तानान्तरण विपक्षी संख्या 6 के हक में कर दिया तथा कुलिया राशि चेक से प्राप्त कर ली तथा जमीन क कब्जा विपक्षी संख्या 6 को सुपुर्द कर दिया तथा यह तय किया कि जब भी विपक्षी संख्या 6 कहेंगे उक्त जमीन का रिलीजडिड विपक्षी 6 के हक में निष्पादित कर पंजीयन करा दूँगा। विपक्षी वादग्रस्त जमीन का कानूनी खातेदार बन चुका है। जिससे प्रार्थी फर्म का नाम हटाया जाकर विपक्षी 6 को खातेदार घोषित कराया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण भी विपक्षी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 6 के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे।

विपक्षी संख्या 8 व 11 द्वारा जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि विपक्षी संख्या 8 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में [illegible] जीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.04. 2007 को 1/16 वां हिस्सा क्रय [illegible] विकास प्रन्यास् उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:38 IST
Reason: SelfAttested

से एप्रुव्ड हो चुका है। विपक्षी 11 श्रीमती विमला कोठारी द्वारा दिनांक 03.10.2008 को वादग्रस्त आराजीात में 1/16 वां हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। विपक्षी संख्या 6 भूमि को खुदबुर्द करने पर आमदा है। अतः निवेदन है कि जवाब के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई हस्तानान्तरण प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में नहीं किया गया है ना ही प्रतिवादी से कोई प्रतिफल प्राप्त किया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 8 की फर्मे कई तरह के संयुक्त प्रक्रम करती नही है, आपसी लेनदेन भी होता रहा है। दोनों के मध्य अच्छा सम्बन्ध होने से राशि का आदान–प्रदान हुआ है। उक्त राशि इधन से उधन खातों में गई थी जिसका उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 6 का काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में शेष प्रतिवादगण को जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब अवसर बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षीगण वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अभिलिखत खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता हो कि प्रार्थीगण को विपक्षी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व अपूणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है। जिससे प्रार्थीगण, विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता।
निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:38 IST
Reason: SelfAttested